

## कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा।

पत्रांक:- 1359/2/20)

मढ़ौरा/दिनांक:- 24.06.22

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढौरा।

सेवा में.

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडा), पटना।

विषय:- वित्तिय वर्ष 2021-22 में Permanent Restoration Work का मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (Sc.) अंतर्गत पथों में आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपयुर्वत विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढौरा के अधीन Permanent Restoration Work का मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (Sc.) अंतर्गत चयनित पथ का अधियाचना प्राप्त विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर संलग्न करते हुए अनुरोध पूर्वक कहना है कि उक्त पथ(संलग्न विहित प्रपत्र अनुसार) के स्तम्भ सं0 13 में दर्शाये गये राशि को आवंटित करने की कृपा की जाए, ताकि कॉलम सं0 05 में दर्शाये गये संवेदक के द्वारा पथ में किये गये Permanent Restoration Work का भुगतान किया जा सके।

अनु0:--1) अधियाचना विहित प्रपत्र में।

2) M.B. की छाया प्रति।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा।

#### FORM GER-19-A

( See Government of India 'S Decision (I) below Rule -150)
Form of Utilization Certificate up to the Month of June-2022
PIU:- Executive Engineer RWD Works Division, Marhaura

SL. No	Name of Scheme	Sanction No& Date with Amount (in Lacs Rs)	Amount Received (in Lacs Rs)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MMGSY- (Sc.)	सचिव ब्राडा के पत्रांक-279अनु0 दिनांक-07-04-22	5436.85794	Certified that out of Rs- 5436.85794 Lacs received during the Years, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 & 2022-23 in favour of Executive Eng., R.W.D. Works Division, Marhaura a Sum of Rs- 5435.55291 Lacs has been utilized for the Purpose of MMGSY(SC.) Scheme as given in the margin for Which it was Sanctioned and that the balance of Rs- 1.30503 Lacs remaining unutilized at CFMS the end of the period under report.

Executive Engineer
R.W.D ( W) division Marhaura


## Rural Works Department

# Permanent RestorationWork for MMGSY (Sc.) Road Allotment Requisition Format

Name Of Division:- RWD, Work Division, Marhaura

SI. No.	Senction Year	Project ID	Name of Road	Name of Contractor	Administrative Sanction		Agreement Amount		Supplymentary Aggrement (In Lakh)		Amount	Total	Value of	Permanent Restoration	
					Length (in Km.)	Amount (in Lacs)	Main work	Mainta.	Main work	Mainta.	Received (in lacs)	Expenditure (in Lacs)	Measumment (in Lacs)	FDR Work Current Demand (in lac)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14
1		31306501388	Maulapur Center Payega PMGSY path to Paschim Miyan Tola School tak	Rajnish Kumar	0.525	44.18200	36.29793	2.51804	5.49000	0.00000	36.29599	36.29599	41.68441	5.38842	Permanent RestorationV ork Completed
	Total:-				0.525	44.18200	36.29793	2.51804	5.49000	0.00000	36.29599	36.29599	41.68441	5.38842	1

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division, Marhaura





बिहार BIHAR

01. 82022

थि कुमार शिह स्टाम्प भण्डर, स्जिठ्यां० हाजीपुर (वैशाली) लाव्नेव-1/1999/2000

## Supplementary Agreement-(Part-2)

Date of Work Commencement:- 23-06-22

Date of Work Completion:-22.07.22

### AGREEMENT NO. 45/MMGSY/SBD/2022-23.

This Suppl. agreement made the...... day...........2022 between the Executive Engineer, Rural Work Department, Works Division, Marhaura of the one part and

RAJNISH KUMAR, VILL.-KHARIKA, P.O.-KHARIKA, P.S.-SONPUR, DIST.-SARAN, STATE:-BIHAR,

Whereas the Employer isdesirous that the Contractor execute Permanent Restoration Work of Damage Due To Flood Road Revised Estimate "MOLANAPUR CENTRE PAIGA PMGSY PATH TO PASCHIM MIYA TOLA SCHOOL PATH TAK" UNDER MMGSY(Sc.), Length- 0.525 Km.", Total Permanent Restoration Cost of Rs.-5,49,000=00 (Rs- Five Lakh Forty Nine Thousand Only) and the Contractor has accepted the revised Estimate by the Employer for the execution and completion of such Works and the remedying of any defects therein (-)10% Below of Rate. Agreement of all mentioned in revised estimate i.e all terms & Conditions applicable as per # original Agreement.

Raynish Kulmar

Executive Engineer

### मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:- 11/मृ0310-3,त0 रवी0-07-45 / 22 1113130 पटना दिनांक:-31-5-22

मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग. बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता, ग्रमीण कार्य विभाग. कार्य अंचल, छपरा।

विषय:- शीर्ष एम०एम०जी०एस०वाई०(एस०सी०) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के अधीन प्राप्त 01 अदद पथ के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:--आपका पत्रांक-750 अनु० दिनांक-19.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पन्न द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

SI. No	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	(At.	FDR Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)	
1,	Marhaura	Molanapur Centre Paiga PMGSY Path Se Pachim Miya Tola School Tak	0.525	744/23.08.08	44.182	42.30	5.49	

निर्माण कार्य एम०एम०जी०एस०वाई० की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।

स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियता, अपने स्तर से कर लेगें यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।

4. समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरुप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पूल निरुपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।

5. अधीक्षण अभियंता, पर्थों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय

को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

पुनरीक्षित प्राक्कलन के नयें मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिकत मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।

पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी

मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।

8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, छपरा ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय

